Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 23364197
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी-42/2011-एमपीलैड्स

Dated 11.09.2014

सेवा में,

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: एमपीलैड्स के अंतर्गत किए गए कार्यों के लिए पट्टिका का निर्माण ।

महोदय,

1. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.22 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है:

> "**3.22** योजना के अंतर्गत जैसे ही कार्य पूरा होता है उसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाना चाहिए । लोगों की अधिक जानकारी के लिए, एमपीलैड्स के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए एक पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए जिस पर 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य' खुदा होना चाहिए तथा कार्य की लागत, उसका आरंभ, समापन और उद्घाटन तिथि तथा परियोजना को प्रायोजित करने वाले संसद सदस्य का नाम दर्शाया जाना चाहिए । पट्टिका का एक नमूना दिशानिर्देशों के अनुबंध XI में दिया गया है ।

2. एमपीलैड्स के अंतर्गत किए गए कार्यों के संबंध में पट्टिकाओं का निर्माण नहीं किए जाने के बारे में मंत्रालय में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । तृतीय पक्ष वास्तविक मॉनीटरिंग करने वाली एजेंसियों ने भी यह बताया है कि पट्टिकाओं के न होने की स्थिति में यह पता लगा पाना कठिन होता है कि कौन से कार्य एमपीलैड्स के अंतर्गत किए गए हैं क्योंकि जिला प्राधिकरणों द्वारा अनेक स्कीमों में कार्य किए जाते हैं ।

3. इस मामले की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की गई है । पट्टिकाओं का निर्माण नहीं किया जाना अथवा इनका निर्माण अनियमित रूप से किया जाना दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन है और इससे एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्यों की आम जनता द्वारा पहचान किए जाने के लक्ष्य को ठेस पहुंचती है । एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्य किए जाने के पश्चात दिशानिर्देशों के अनुबंध XI में दिए गए नमूने के अनुसार पट्टिकाओं का

आवश्यक रूप से निर्माण किया जाना चाहिए । यदि भविष्य में मंत्रालय को अपर्याप्त सूचना वाली पट्टिका के निर्माण अथवा एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्य पूरा होने के पश्चात किसी पट्टिका का निर्माण न किए जाने की सूचना प्राप्त होती है तो यह राज्य सरकार को जवाबदेही तय करने तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन न किए जाने के लिए विभागीय कार्रवाई करने के लिए भेज दी जाएगी ।

4 इसलिए यह पुन: उल्लेख किया जाता है कि एमपीलैड्स कार्य स्थलों पर पट्टिकाओं के निर्माण के संबंध में एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के प्रावधानों का नियमानुसार अनुपालन किया जाना चाहिए ।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

तपन मित्र

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा) ।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।